

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F/1(7)(Rules)/2008 Jaipur Dated 12.09.08 एवं F-1(7)(Rules)/2008 Dated 06-10-08 के नियम 19 एवं आदेश दिनांक 12.10.12 एवं आदेश दिनांक 05.07.2013 एवं आदेश एफ 13(1) एफ.डी. (रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसरण में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जांच/अभिज्ञा सहित प्राप्त निम्नांकित व0अ0/कार्मिकों को आशवासित केरियर प्रोग्रेस (ACP) के तहत देय लाभ उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि/ नियमित नियुक्ति तिथि	व.अ. पद पर कार्यग्रहण तिथि	सेवाअवधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में आहरित ग्रेड-पे	देय एसीपी एवं तिथि		वि0वि0
											दिनांक	ग्रेड पे/ पे मैट्रिक्स	
1	दीपक कुमार चलाना	व0अ0	राउमावि खुण्डावास, रोहट	पाली	02/12/1979	08/11/2011	08/11/2011	9	08/11/2020	L-11	08/11/2020	L-12	
2	बाल कृष्ण परिहार	व0अ0	राउप्रावि बेरा बन्दिया, माण्डल सोजत	पाली	01/07/1963	06/11/1992	16/12/2016	27	06/11/2019	L-12	06/11/2019	L-13	
3	किशोर कुमार बोराना	व0अ0	राउमावि बिरामी, सुमेरपुर	पाली	27/07/1972	30/11/1998	03/10/2015	18	30/11/2016	L-11	30/11/2019	L-12	दिनांक 01.06.2002 पश्चात् तीसरी सन्तान के कारण
4	मुकेश कुमार मीणा	व0अ0	रामावि भावनगर, पाली	पाली	05/12/1987	18/10/2011	18/10/2011	9	18/10/2020	L-11	18/10/2020	L-12	

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं इसकी प्रविष्टियों सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुरिस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारी ए.सी.पी. लाभ देय तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है। एवं इनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष स्तर पर लम्बित/ विचारणीय नहीं है। उक्त कर्मचारियों ने यदि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.12.96 के तहत पदोन्नति परित्याग किया है तो प्रथम एसीपी का लाभ ही देय है, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी के आदेश प्रभावी रहेंगे। साथ ही दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् यदि किसी कार्मिक के तीसरी संतान हुई तो भी उक्त आदेश अप्रभावी रहेंगे।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) वेतन नियम 2008 (01.09.06) अनुसार वेतन निर्धारण पर 31.12.06 तक एवं चतुर्थ संशोधन 2008 (01.01.2006) अनुसार वेतन निर्धारण 30.06.2013 तक का एरियर प्रोदभूत नहीं होगा। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान होने पर ही उक्त आदेश प्रभावी होंगे।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति व्याख्याता (राजपत्रित पद) पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91/ दिनांक 31.03.2015 अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.2(1) कार्मिक/ क-2/अ.प्र./91 दिनांक 03.06.2008 के भाग-1 के बिन्दु संख्या 15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 15.1 जोड़ा गया तदनुसार देयता तिथि को व्याख्याता माना जाने पर उन्हें 10.20.30 पर देयता बनती है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझे जावे। वित्त विभाग आदेश एफ16(2) एफ.डी.रूल्स 98 दिनांक 20.08.10 अनुसार 18 वर्षीय पूर्व में स्वीकृत एसीपी की जांच करवाकर 27 वर्षीय एसीपी वेतन निर्धारण किया जावे। अधि संदायों का यदि कोई हो तथा जिसका बाद में पता लगे, प्रतिदाय करने के बारे में कार्मिक जिम्मेवार रहेगा।


(जगदीश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

क्रमांक : स.नि./स्कूल शिक्षा/पाली/संस्था-1/एसीपी/20/ 233
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

दिनांक :- 06.01.2021

2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक
6. रक्षक पत्रावली


संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F/1(7)(Rules)/2008 Jaipur Dated 12.09.08 एवं F-1(7)(Rules)/2008 Dated 06-10-08 के नियम 19 एवं आदेश दिनांक 12.10.12 एवं आदेश दिनांक 05.07.2013 एवं आदेश एफ 13(1) एफ.डी. (रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसरण में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जांच/अभिज्ञा सहित प्राप्त निम्नांकित व0अ0/कार्मिकों को आश्वासित करियर प्रोग्रेस (ACP) के तहत देय लाभ उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि/ नियमित नियुक्ति तिथि	व.अ. पद पर कार्यग्रहण तिथि	सेवाअवधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में आहरित ग्रेड-पे	देय एसपी एवं तिथि		दि0चि0
											दिनांक	ग्रेड पे/ पे मैट्रिक्स	
1	महेन्द्र कुमार सुथार	व0अ0	महात्मा गांधी राज. विद्यालय शिवाजी नगर, जालोर	जालोर	01/06/1975	15/10/2011	15/10/2011	9	15/10/2020	L-11	15/10/2020	L-12	
2	राजेश कुमार मीना	व0अ0	राउमावि गजापुरा, जसवन्तपुरा	जालोर	04/02/1985	19/10/2011	19/10/2011	9	19/10/2020	L-11	19/10/2020	L-12	
3	रणजीत सिंह मीना	व0अ0	राउमावि रेवत, जालोर	जालोर	02/06/1982	19/10/2011	19/10/2011	9	19/10/2020	L-11	19/10/2020	L-12	
4	पूनमा राम	व0अ0	राउमावि सामतीपुरा, जालोर	जालोर	27/07/1969	17/12/1993	03/10/2015	27	18/12/2020	L-12	18/12/2020	L-13	

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं इसकी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुरिस्तका में आवश्यक रूप से की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारी ए.सी.पी. लाभ देय तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है। एवं इनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर लम्बित/ विचाराधीन नहीं है। उक्त कर्मचारियों ने यदि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.12.96 के तहत पदोन्नति परित्याग किया है तो प्रथम ए.सी.पी का लाभ ही देय है, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी के आदेश प्रभावी रहेंगे। साथ ही दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् यदि किसी कार्मिक के तीसरी संतान हुई तो भी उक्त आदेश अप्रभावी रहेंगे।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) वेतन नियम 2008 (01.09.06) अनुसार वेतन निर्धारण पर 31.12.06 तक एवं चतुर्थ संशोधन 2008 (01.01.2006) अनुसार वेतन निर्धारण 30.06.2013 तक का एरियर प्रोदभूत नहीं होगा। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान होने पर ही उक्त आदेश प्रभावी होंगे।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति व्याख्याता (राजपत्रित पद) पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91/ दिनांक 31.03.2015 अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.2(1) कार्मिक/ क-2/अ.प्र./91 दिनांक 03.06.2008 के भाग-1 के बिन्दु संख्या 15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 15.1 जोड़ा गया तदनुसार देयता तिथि को व्याख्याता माना जाने पर उन्हें 10.20.30 पर देयता बनती है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझे जावे। वित्त विभाग आदेश एफ16(2) एफ.डी.रूल्स 98 दिनांक 20.08.10 अनुसार 18 वर्षीय पूर्व में स्वीकृत ए.सी.पी की जांच करवाकर 27 वर्षीय ए.सी.पी वेतन निर्धारण किया जावे। अधि संदायों का यदि कोई हो तथा जिसका बाद में पता लगे, प्रतिदाय करने के बारे में कार्मिक जिम्मेवार रहेगा।


(जगदीश चन्द्र राठौड़)

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

दिनांक :- 06.01.2021

क्रमांक : स.नि./स्कूल शिक्षा/पाली/संस्था-1/ए.सी.पी/20/ 237

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान/ 6. रक्षक पत्रावली


संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F/1(7)(Rules)/2008 Jaipur Dated 12.09.08 एवं F-1(7)(Rules)/2008 Dated 06-10-08 के नियम 19 एवं आदेश दिनांक 12.10.12 एवं आदेश दिनांक 05.07.2013 एवं आदेश एफ 13(1) एफ.डी. (रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसरण में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जांच/अभिज्ञा सहित प्राप्त निम्नांकित व0अ0/कार्मिकों को आशवासित केरियर प्रोग्रेस (ACP) के तहत देय लाभ उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि/ नियमित नियुक्ति तिथि	व.अ. पद पर कार्यग्रहण तिथि	सेवाअवधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में आहरित ग्रेड-पे	देय एसीपी एवं तिथि		वि०वि०
											दिनांक	ग्रेड पे/ पे मैट्रिक्स	
1	हेमराज विरनोई	व0अ0	राउमावि कोटडा आर, रानीवाडा	जालोर	20/07/1966	26/10/1993	01/10/2013	27	26/10/2020	L-12	26/10/2020	L-13	
2	लच्छाराम परिहार	व0स0	राउमावि पावटा, आहोर	जालोर	15/07/1966	25/05/2000	13/06/2013	18	25/05/2018	L-07	25/05/2018	L-08	
3	यज्ञदत्त श्रीमाली	व0अ0	राउमावि डांगरा, सायला	जालोर	25/10/1968	17/12/1993	08/10/2015	27	17/12/2020	L-12	17/12/2020	L-13	

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं इसकी प्रविष्टियों सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुरितका में आवश्यक रूप से की जाये। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारी ए.सी.पी. लाभ देय तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है। एवं इनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर लम्बित/ विचाराधीन नहीं है। उक्त कर्मचारियों ने यदि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.12.96 के तहत पदोन्नति परित्याग किया है तो प्रथम एसीपी का लाभ ही देय है, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी के आदेश प्रभावी रहेंगे। साथ ही दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् यदि किसी कार्मिक के तीसरी संतान हुई तो भी उक्त आदेश अप्रभावी रहेंगे।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) वेतन नियम 2008 (01.09.06) अनुसार वेतन निर्धारण पर 31.12.06 तक एवं चतुर्थ संशोधन 2008 (01.01.2006) अनुसार वेतन निर्धारण 30.06.2013 तक का एरियर प्रोदभूत नहीं होगा। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान होने पर ही उक्त आदेश प्रभावी होंगे।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति व्याख्याता (राजपत्रित पद) पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91/ दिनांक 31.03.2015 अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.2(1) कार्मिक/ क-2/अ.प्र./91 दिनांक 03.06.2008 के भाग-1 के बिन्दु संख्या 15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 15.1 जोड़ा गया तदनुसार देयता तिथि को व्याख्याता माना जाने पर उन्हें 10.20.30 पर देयता बनती है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझे जाये। वित्त विभाग आदेश एफ16(2) एफ.डी.रूल्स 98 दिनांक 20.08.10 अनुसार 18 वर्षीय पूर्व में स्वीकृत एसीपी की जांच करवाकर 27 वर्षीय एसीपी वेतन निर्धारण किया जाये। अधि संदायों का यदि कोई हो तथा जिसका बाद में पता लगे, प्रतिदाय करने के बारे में कार्मिक जिम्मेवार रहेगा।


(जगन्मोहन चन्द्र राठौड़)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

दिनांक :- 06.01.2021

क्रमांक : स.नि./स्कूल शिक्षा/पाली/संस्था-1/एसीपी/20/238

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान/ 6. रक्षक पत्रावली


संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय आदेश


वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F/1(7)(Rules)/2008 Jaipur Dated 12.09.08 एवं F-1(7)(Rules)/2008 Dated 06-10-08 के नियम 19 एवं आदेश दिनांक 12.10.12 एवं आदेश दिनांक 05.07.2013 एवं आदेश एफ 13(1) एफ.डी. (रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसरण में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जांच/अभिज्ञा सहित प्राप्त निम्नांकित व0अ0/कार्मिकों को आशवासित केरियर प्रोग्रेस (ACP) के तहत देय लाभ उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क. स.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि/ नियमित नियुक्ति तिथि	व.अ. पद पर कार्यग्रहण तिथि	सेवाअवधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में आहरित ग्रेड-पे	देय एसपी एवं तिथि		वि0वि0
											दिनांक	ग्रेड पे/ पे मैट्रिक्स	
1	अर्जुन कुमार जोशी	स.प्र.अ.	कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रानीवाडा	जालोर	21/05/1973	08/10/1993	S.A. 06/10/2007 A.A.O. 11-02-19	27	08/10/2020	L-10	08/10/2020	L-11	
2	विनोद कुमार	व0अ0	राउमावि जालेरा खुर्द रानीवाडा	जालोर	17/02/1987	14/10/2011	14/10/2011	9	14/10/2020	L-11	14/10/2020	L-12	
3	राम करन मीना	व0अ0	राउमावि झूंगरी रानीवाडा	जालोर	01/01/1980	18/10/2011	18/10/2011	9	18/10/2020	L-11	18/10/2020	L-12	

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं इसकी प्रविष्टियों सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारी ए.सी.पी. लाभ देय तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है। एवं इनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर लम्बित/ विचाराधीन नहीं है। उक्त कर्मचारियों ने यदि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.12.96 के तहत पदोन्नति परित्याग किया है तो प्रथम ए.सी.पी का लाभ ही देय है, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी के आदेश प्रभावी रहेंगे। साथ ही दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् यदि किसी कार्मिक के तीसरी संतान हुई तो भी उक्त आदेश अप्रभावी रहेंगे।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) वेतन नियम 2008 (01.09.06) अनुसार वेतन निर्धारण पर 31.12.06 तक एवं चतुर्थ संशोधन 2008 (01.01.2006) अनुसार वेतन निर्धारण 30.06.2013 तक का एरियर प्रोद्भूत नहीं होगा। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान होने पर ही उक्त आदेश प्रभावी होंगे।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति व्याख्याता (राजपत्रित पद) पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91/ दिनांक 31.03.2015 अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.2(1) कार्मिक/ क-2/अ.प्र./91 दिनांक 03.06.2008 के भाग-1 के बिन्दु संख्या 15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 15.1 जोडा गया तदनुसार देयता तिथि को व्याख्याता माना जाने पर उन्हें 10,20,30 पर देयता बनती है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझे जावे। वित्त विभाग आदेश एफ16(2) एफ.डी.रूल्स 98 दिनांक 20.08.10 अनुसार 18 वर्षीय पूर्व में स्वीकृत ए.सी.पी की जांच करवाकर 27 वर्षीय ए.सी.पी वेतन निर्धारण किया जावे। अधि संदायों का यदि कोई हो तथा जिसका बाद में पता लगे, प्रतिदाय करने के बारे में कार्मिक जिम्मेवार रहेगा।


 (जनदीश चन्द्र राठौड़)
 संयुक्त निदेशक
 स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली


दिनांक :- 06.01.2021

कमांक : स.नि./स्कूल शिक्षा/पाली/संस्था-1/ए.सी.पी/20/ 239

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान/ 6. रक्षक पत्रावली


 संयुक्त निदेशक
 स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली